



राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़

कार्यालय -शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकित्सालय भवन, रायपुर (छ.ग.) 492010

फोन नं 0771-6452461 वेबसाइट-www.schcg.in ई-मेल registrar@schcg.in

क्रमांक / रा.हो.प. / 2021 / 124-

रायपुर, दिनांक 09/07/2021

-:: सूचना ::-

राज्य होमियोपैथी परिषद्, छत्तीसगढ़, रायपुर में स्थायी पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले ऐसे आवेदक जिन्होंने अन्य राज्य के महाविद्यालयों से बी.एच.एम.एस. की उपाधि प्राप्त किया है तथा वे छत्तीसगढ़ राज्य में अपना स्थायी पंजीयन करवाना चाहते हैं उन्हें संबंधित राज्य बोर्ड/परिषद् से जारी अनन्तिम पंजीयन (Provisional Registration) प्रमाण पत्र को निरस्त कराते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अनन्तिम पंजीयन (Provisional Registration) प्रमाण पत्र की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदक को किसी अन्य राज्य में स्थायी पंजीयन नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात् ही पंजीयन की कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

राज्य होमियोपैथी परिषद्, छत्तीसगढ़
रायपुर
